

कार्यालय :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड,  
राँची।

४

कार्यालय आदेश संख्या :— ३७-

राँची—२ दिनांक :— १९/५/१५

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०—४/यो०  
बजट—४२/२०१०—२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु  
दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति को गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में  
राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक १५.०५.१५ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने ( संयुक्त  
वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन  
देने ) हेतु अनुसूचित कार्य दर अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान  
मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं  
गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली कुसुमी लाह उत्पादन को  
प्रोत्साहन देने ( संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन  
हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने ) हेतु कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश  
के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१५—१६ के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले  
पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

W.B.

अपर प्रधान मुख्य वन संस्थान, विकास,  
आरखण्ड, रांची।

### कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समृद्ध युग द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य दर लाह-पोषक उत्पादन के दृष्टि की संस्था-12500 युति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाख वर्ग वर्ष वन परिवार कुल 1250 लाख वर्ग वर्ष वन परिवार)

(रु. लाख में)

कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2015-16 मजदूरी प्रति मानव दिवस 167.43					द्वितीय वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 206.17 (दृष्टि 10 प्रतिशत)					तृतीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 228.79 (दृष्टि 2017-18 की आधार मानव दृष्टि 10 प्रतिशत की दृष्टि)					सकल योग	अनुमति	
		मौतिक लाय	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	मौतिक लाय	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	मौतिक लाय	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय			
न विद्युक्तन	रु. 2.65 युति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	0.331		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लाख वर्ष वन के युक्ति का विनाशन दिवस प्राप्ति वृक्ष सेट व बोट जारी करने वाले दृष्टि 10 के लागतीने दृष्टि 10 से ही कटाई कटाई किए गए 2250 (८ वर्ष प्रति वर्षिका) वनप्रस्थ इसी वर्ष वनप्रस्थ/वर्षवारी वर्ष दृष्टि 10 वर्ष वनप्रस्थ विका जारी करे दृष्टि 10 के 5000 वृक्ष (१० वर्ष प्रति वर्षिका) की कटाई कटाई की जाएगी।	
प																			
नगराही परिवारों के एक-एक को सामग्री में INRG के लाह की द्वारा प्रशिक्षण	100 लाह प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750		
ह पर्यावरक एवं 12 CRP (Community Resource Person) क विवित उदास्य / प्रति 100 को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्राकृतिक राल एवं गोद नामकूम, रीची में एक का प्रशिक्षण	2000 रु. प्रति प्रतिशतावधि				0.260	0.260						0.000					0.000	0.260	भारतीय प्रशिक्षक राल वर्ष लोद संस्थान, नामकूम, रीची (INRG) के लाह विद्युक्तने द्वारा विवित वर्ष वनप्रस्थ की जाएगी।
एवं अन्य सामग्री	रु. 1775/- प्रति दूल्हाई; 100 वृक्षों पर एक कोट			2.219		2.219						0.000					0.000	2.219	प्रथम वर्ष में सेट-1 के सामग्री द्वारा कटाई कटाई किए गए 2250 (८ वर्ष प्रति वर्षिका) उपलब्ध हुए एवं वर्षवारी वर्ष में बोट सेट को संग्रहण किया जाएगा एवं सेट-2 के 5000 वृक्षों की कटाई कटाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में सेट-3 के 2250 वृक्षों की कटाई कटाई की जाएगी।
२ कटाई-चैटाई	1 मानव दिवस प्रति ५ वृक्ष	5000 वृक्ष	1.874			1.874	3750 वृक्ष	1.546				1.546					0.000	3.421	
गह का व्यय	4-5 किलो ग्राम उति वृक्ष; रु. 425.00 प्रति किलो	3750 वृक्ष		63.750		63.750	गत वर्ष उत्पादित बीड़ियां से 5000 वृक्ष					0.000	गत वर्ष उत्पादित बीड़ियां से 3750 वृक्ष				0.000	63.750	वर्ष वन का अप्य नियमा के अन्यान से किया जाएगा।
व्यय	1 नां० दिवा प्रति ५ वृक्ष	3750 वृक्ष	1.406			1.406	5000 वृक्ष	2.062				2.062	3750 वृक्ष	1.701			1.701	5.168	अप्य किए गए बीड़ियां लाह के प्रथम वर्ष के जबरदी/ बरदारी वाले वैदेय लाह का संग्रहण सेट-1 के वृक्ष से सामग्री द्वारा कटाई कटाई किए गए 2250 (८ वर्ष वनप्रस्थ वर्ष के जबरदी वाले वैदेय सेट-2 के 5000 वृक्षों वर्ष के सेट-3 के 2250 वृक्षों वर्ष वनप्रस्थ वाले वैदेय लाह का
तंरकाण पर व्यय	60 रु. प्रति वृक्ष (कोटनाराक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		2.250	5000 वृक्ष		3.000			3.000	3750 वृक्ष			2.250	2.250	7.500	
१ छिकाय हेतु रॉकिंग स्ट्री मरीन	1 मरीन प्रति 10 लाख वर्ग वर्ष वनप्रस्थ (@ 6000 रु.)			7.500		7.500						0.000					0.000	7.500	

ज्ञापांक :- ४७४

दिनांक :- १९/५/१५

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची